उत्तराखण्ड के विकास में जैविक खेती की भूमिका

डॉ. अल्पना निगम,

एसोसिएट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून

शोध सार

जैविक खेती की परिकल्पना, पृथ्वी, मानव व पर्यावरण के बीच मधुर, परस्पर लाभदायी तथा दीर्घायु संबंधों की अवधारणा को बनाकर की गई। समय के बदलते स्वरूप के साथ यह अपने प्रारंभिक काल के मुकाबले अब और अधिक जटिल हो गई है। आज के समय में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दशकों में पूरे विश्व में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु जागरूकता बढ़ी है। अनेक किसानों, संस्थाओं और जैविक खेती प्रणेताओं का ये विश्वास है कि जैविक खेती से न केवल स्वस्थ वातावरण, उपयुक्त उत्पादकता तथा प्रदूषण मुक्त खाद्य प्राप्त होगा बल्कि इसकी सहायता से संपूर्ण ग्रामीण विकास की एक नई प्रक्रिया शुरु होगी जो कि स्वोषित और स्वावलम्बी होगी और जो आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के नये आयाम सुनिश्चित करेगी। विश्व को जैविक खेती भारत व चीन की देन है क्योंकि भारत व चीन दोनों देशों की कृषि परंपरा, लगभग 4000 वर्ष पुरानी है और यहाँ के किसान तब से कृषि ज्ञान से परिपूर्ण हैं और जैविक खेती ही उनको आजीविका का आधार रही है।

जैविक खेती कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जैव अवशिष्ट, फसल अवशिष्ट, जैविक आदान, खनिज आदान और जीवाणु खाद के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रख कर टीकाऊ फसल का उत्पादन किया जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति, जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और उनका राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है तथा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं।

मुख्य शब्द – *जैविक खेती, स्वपोषित, स्वावलम्बी, पर्यावरणीय सुरक्षा, जैव अवशिष्ट, जैव आदान*

प्रस्तावना

जैविक खेती प्राकृतिक तरीके से खेती का एक उदाहरण है, जिसमें उर्वरकों या कीटनाशकों के रूप में किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में उपशिष्ट, पशु–अपशिष्ट खाद आदि जैसी प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। यह मूल रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ उसे अच्छा और उपजाऊ बनाने में भी मदद करती है। जैविक खेती में फसल परिक्रमण मिश्रित फसल और जैविक कीट नियंत्रण आदि जैसी कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

जैविक खेती प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में फसलों को विकास और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए केवल जैविक सामग्री और जैव–उर्वरकों का उपयोग करने पर जोर देती हैं। हालांकि भारत में अच्छी व स्वस्थ, फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय से ही जैविक खेती को सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

इस तरह की खेती में फसल परिक्रमण द्वारा मिट्टी को स्वस्थ एवं उर्वरकतापूर्ण बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक फसल के बाद किसान वायुमंडलीय नाइट्रोजन (फसल उत्पादन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण खनिज) के साथ मिट्टी को पुनर्भरण करने के लिए फसलों के साथ अन्य फलदार पौधों को भी उगाते हैं। ये फलदार पौधे अपनी जड़ों की ग्रन्थि के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्भरण कर उन्हें एक बार फिर उपजाऊ बना देते हैं।

भारत एक विशाल देश है और देश भर में विभिन्न तरीकों से जैविक खेती की जा रही है और यह काफी हद तक देश की भौगोलिक परिस्थितियों में उपलब्ध मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। देश भर में एकीकृत जैविक खेती की जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन और कीट प्रबन्धन का एकीकृत तरीका, इस तरह की जैविक खेती के प्रमुख आधार है। प्राचीन समय से ही भारतीय गांवों में जैविक खेती के एकीकृत तरीकों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस विधि के अनुसार, किसान प्राकृतिक संसाधनों से सभी आवश्यक पोषक तत्वों को एकीकृत कर फसलों के पूर्ण पौष्टिक मूल्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा वह पौधों को कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने से भी रोकते हैं तथा उनको नष्ट होने से बचाने के लिए भी प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती के एकीकृत तरीकों से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने नए वैज्ञानिक विकास के माध्यम से किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए किसान जागरूकता अभियान की शुरूआत भी की है। नवीनतम एकीकृत खेती अति लोकप्रिय हो गई है। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर–पूर्वी राज्यों जैसे– पहाड़ी क्षेत्रों की फसल पैदावार में सुधार हो गया है। एकीकृत जैविक खेती के माध्यम से कृषि में सुधार लाने के लिए 'मेघालय' को एक शानदार उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है।

इसके अलावा भारत में विभिन्न कृषि संस्थानों में एकीकृत खेती में सुधार के लिए प्रगतिशील शोध के माध्मय से सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप फसल परिक्रमण डबल और ट्रिपल फसल प्रणालियों जैसे एकीकृत कृषि पद्धतियों का व्यापक रूप से उपयोग हुआ है। जैविक खेती के एकीकृत तरीकों के माध्यम से किसान वर्षों बाद अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो पाया है। जैविक खेती कृषि करने की एक ऐसी विधि है जिसमें किसान खेती के लिए केवल जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करता है। विशेष रूप से इस तरह की खेती में उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक रसायन मुक्त होते हैं। ये कीटनाशक नीम जैसे प्राकृतिक पदार्थों के माध्य से बने होते हैं। विभिन्न कृषि प्रणालियों के एकीकरण में नियमित फसल घटकों के साथ–साथ मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, बकरी तथा मछली पालन आदि जैसे कई अन्य घटक भी शामिल किए जाते हैं।

जैविक खेती प्राकृतिक वातावरण को बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैविक खेती के माध्यम से पर्यावरण शुद्ध रहता है, और कम प्रदूषित होता है तथा यह ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा जैविक खेती लोगों को स्वस्थ जीवन बनाए रखने में सहायक होती है। जब लोग जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं तो उन्हें यह भोजन अत्यन्त शुद्धतम एवं स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार से वह

वर्तमान में होने वाली अनेक घातक बिमारियों से दूर रहते हैं। इसके अलावा जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाली प्राकृतिक खादों की वजह से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है।

जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तियों के खान–पान में बदलाव आया है। और पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जैविक खेती ही एक ऐसा रास्ता बचता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य एवं जिंदगी का ख्याल रख सकती है। पर्यावरण के नजरिये से भी जैविक कृषि बहुत ही उपयुक्त है। जैविक कृषि के माध्यम से जो भी जैविक कृषि कचरे होते हैं, उनका उपयोग कर कंपोस्ट बनाया जाता है। यह कंपोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कि खेती–बाड़ी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।

शोध का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य है जो 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन एवं नेपाल से जुड़ी हुई है। प्रदेश को दो मण्डलों में विभाजित किया गया है– पश्चिम में गढ़वाल एवं पूर्व में कुमाऊं मण्डल। शोध में जैविक खेती से संबंधित किसानों के आर्थिक व सामाजिक पहलुओं का अवलोकन किया गया है।

इस प्रकार यह शोध जैविक खेती का, उत्तराखण्ड राज्य की ग्रामीण जनता के संदर्भ में आर्थिक व सामाजिक भूमिका का विश्लेषण करने में पूर्ण रूप से सारगर्भित सिद्ध होगा।

शोध का औचित्य

उत्तराखण्ड राजय की निवासी होने के कारण मुझे इस बात की लालसा रहती है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किस गति से हो रहा है। और उसमें जैविक खेती की क्या भूमिका है? पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः उसका विकास पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर करता है एवं उत्तराखण्ड में पहाड़ी भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में अनेक समस्याओं जैसे जैविक खेती से संबंधित गांवों में, जो बाजारों से काफी दूरी पर है, उनमें प्राप्त उत्पाद को बाजारों तक पहुँचाने की समस्याएं भी हैं। रास्ते सही नहीं हैं, गाँवों में सड़कों की सुविधा नहीं है, मंडियों का अभाव है तथा किसानों को अपने अनाज का तथा तैयार की गई फसलों का सही मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। उत्तराखण्ड राज्य में 13 प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, जो कृषि योग्य है। सरकार द्वारा अनेक नीतियाँ व कार्यक्रम बनाने के बावजूद भी अनेक जगहों पर यह पाया गया है, कि कई किसान अभी भी सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि प्राप्त लाभ कुछ हाथों तक ही मिल जाता है।

शोध के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड में ग्रामीण, स्थानीय तथा कृषि अनुसंधान संस्थाओं की कार्यप्रणाली की रूप रेखा का अध्ययन करना।
2. राज्य में जैविक खेती में संलग्न किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता स्रोतों का अध्ययन करना।
3. जैविक खेती का ग्रामों के आर्थिक विकास व रोजगार में योगदान का अध्ययन करना।
4. राज्य में सरकार तथा कृषि संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न आर्थिक–सामाजिक विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

5. जैविक खेती की समस्याओं का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत करना और उसके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध प्रामाणिक और सरकार के स्त्रोतों द्वारा प्रकाशित द्वितीयक आंकडों पर आधारित है। शोध में उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग, विश्लेषण व समंकों की तुलना करने के लिए किया गया है। शोध में विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किए है और राज्य में जैविक खेती के विस्तार व सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं।

शोध की सीमाएं

यह शोध एक निश्चित क्षेत्र के अर्न्तगत किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड के भू–भाग का गहनता से अध्ययन किया गया है। शोध की सीमा में अर्थात उत्तराखण्ड में जैविक खेती से संबंधित क्रिया कलापों का अध्ययन किया गया है।

उत्तराखण्ड के किन–किन स्थानों पर जैविक खेती के अन्तर्गत किन–किन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है तथा इसके सकारात्मक पक्ष एवं नकारात्मक पक्षों का अध्ययन भी इस शोध में किया गया है।

प्रस्तुत शोध की सीमाओं के अर्न्तगत उत्तराखण्ड में जैविक खेती से जुडे हुए किसानों की आर्थिक स्थिति का आंकलन भी किया गया है कि जैविक खेती के बढ़ने से तथा उसका प्रयोग करने से किसानों के आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है?

सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं तथा नीतियों क्रियाकलापों का किस सीमा तक सफल इस्तेमाल हुआ है तथा जिन क्षेत्रों में ये नीतियाँ लागू की गई हैं, वहाँ उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उन क्षेत्रों से संबंधित क्या परिणाम, सकारात्मक या नकारात्मक, सामने आए, इसका अध्ययन भी किया गया है।

उत्तराखण्ड में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति

कृषि, शेष भारत की तरह उत्तराखण्ड में आजीविका का मुख्य साधन है। प्रमुख साधान होते हुए भी इस पर विशेष ध्यान रहीं दिया गया है। अतः इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की राय लिया जाना तथा परियोजना व सरकारी प्रयासों को कार्य रूप दिया जाना, समय की मांग है।

प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण, उस क्षेत्र के कृषि उत्पादों में भी विशिष्टता पायी जाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य इस तथ्य का अपवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रभावी विपणन रणनीति कृषकों को समृद्ध बना सकती है। लेकिन नवोदित उत्तराखण्ड राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के बड़े क्षेत्र/विनियमित मंडियों की कुल संख्या 20 है तथा ये मंडियां हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में ही हैं। इस प्रकार पहाड़ी कृषकों के उत्पादों की परिवहन लागत एवं अन्य लागतें बढ़ जाती हैं तथा बाजार की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप फसल विविधिकरण का ह्रास होता है। अतः उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य उपयुक्त विपणन माध्यमों के निर्माण के बगैर कृषि विकास की नीतियों की सफलता संदिग्ध है।

राज्य सरकार ने नैनीताल के हल्द्वानी जिले में देश की पहली जैविक कृषि उत्पाद मंडी स्थापित की है। इस मंडी के खुलने से जैविक फसलों को सही बाजार मिल रहा है जिससे प्रदेश में जैविक खेती को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा सरकार के इस कदम से पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिल रही है। उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की ओर से वर्तमान समय तक 20 जैविक

उत्पाद मंडियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने से पहाड़ों में खेती को लाभ मिल रहा है व पलायन रोकने में मदद मिल रही है।

जैविक खेती या मंडी के विकास से पहाड़ों की खेती और पलायन पर क्या असर होगा। इसके बारे में जैविक ट्रेनर अनिल पांडे का कहना है कि पहाड़ों की खेती को भी निश्चित ही लाभ होगा क्योंकि पहाड़ों की खेती तो स्वतः ही ऑर्गेनिक होती है। जरूरत है तो इस खेती को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत लाने की जिससे वहाँ के उत्पादों को प्रमाणित कर जैविक उत्पाद के रूप में देश–विदेश में बिक्री हेतु भेजने में सहायता मिलेगी और किसानों को अपनी फसल का अधिक मूल्य मिलेगा जिससे किसान प्रोत्साहित होगा। इसका पलायन पर भी असर पड़ेगा तथा उसमें गिरावट आएगी और लोग अपनी खेती करना पसंद करेंगे जिससे उनका आर्थिक स्तर मजबूत होगा।

जैविक खेती के बढ़ते प्रचलन के कारण पिछड़े व आर्थिक स्तर से कमजोर किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। तथा जैविक खेती के बढ़ते प्रचलन से बेरोजगार लोगों व किसानों को रोजगार मिला है व लोगों को अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिली है। रासायनिक खाद ओर कीट खरपतवार नाशकों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। कीटनाशक नदी–तालाबों में भी पहुँचे जाते हैं। मगर जैविक खाद एवं बीज के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और बेहतर फसल भी होगी। जैविक खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हालिया कुछ साल से जैविक उत्पाद की माँग बढ़ी है। जैविक पदाथों का मूल्य सामान्य उत्पादों के मुकाबले काफी ज्यादा भी होता है। जैविक खेती से एक तरफ पर्यावरण में सुधार आएगा और दूसरी तरफ फसल का ज्यादा मूल्य मिलेगा।

उत्तराखण्ड में पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ों से किसानों के पलायन के कारण खेती बर्बादी की कगार पर पहुँचती जा रही है। उत्तराखण्ड में खेती में सुधार लाने के लिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर नए प्रयास कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार भी समुचित आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखण्ड राज्य में जैविक खेती सदियों से की जा रही है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय–भैंस के गोबर का प्रयोग किया जाता रहा है। जिसके कारण पहाड़ों में पैदा होने वाले अनाजों की माँग पूरे देशभर में है।

हमारा उत्तराखण्ड राज्य एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। जिसमें ऑग्रेनिक एग्रीकल्चर एक्ट के जरिये जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि पूर्व में कहीं न कहीं रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होने से भूमि और फसल दोनों ही जहरीली होती जा रही थी। सरकार द्वारा दस विकासखण्डों को जैविक खेती के योग्य घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वर्तमान में 60 हजार हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 25 हजार किसान इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। उत्पाद की खरीद के लिए निजी कम्पनियाँ राज्य सरकार के संपर्क में आ रही हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 1500 के लगभग ऑर्गेनिक ब्लॉक बनाए गए हैं जो आने वाले समय में विश्व बाजार में निश्चित रूप से अपनी पहचान बना लेंगे। उत्तराखण्ड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजाऐं चलायी जा रही हैं जिससे किसानों को फायदा पहुँच रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाएँ व कार्यक्रम

उत्तराखण्ड में जैविक खेती की दिशा में सरकार द्वारा कई नीतियों वं कार्यक्रम चलाये जा रह हैं जो निम्न हैं–

1. एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक एक्ट 2010
2. जैविक कृषि नीति की घोषणा
3. ऑर्गेनिक कलस्टरों की स्थापना
4. सरकार द्वारा जैविक किसानों को कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी सब्सिडी
5. उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा 'उत्तराखण्ड ऑर्गेनिक' नाम की मोबाइल एप्लीकेशन योजना
6. सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के 10 ब्लॉकों में जैविक खेती को प्रोत्साहन
7. मिट्टी से बाजार तक की रणनीति
8. कृषि विविधिकरण परियोजना
9. सहकारी विकास परियोजना
10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (13 जनवरी 2016)
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

निष्कर्ष एवं सुझाव

उत्तराखण्ड के जैविक कृषि विकास एवं संबंधित गतिविधियों के के अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है किं आज कृषक यह समझ रहा है कि खेती करना ही पर्याप्त नहीं है – इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से नकदी फसलों का उत्पादन किया जाना बेहद जरूरी है। अतः नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाना आवश्यक है।

1. कृषि उत्पादों एवं उससे सम्बन्धित उत्पादों के लिए ग्रामीण बाजार सुसंगठित नहीं हैं जिसके कारण कृषकों को अपना उत्पाद अन्य स्थानों पर भेजने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में विविध योजनाओं व सरकारी प्रयासों के माध्यम से सुदृढ़ ग्रामीण बाजारों की स्थापना की जानी चाहिए।
2. उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था ना होने के कारण उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः इसके लिए नजदीकी स्थानों पर उत्पाद विक्रय केन्द्र स्थापित होने चाहिए।
3. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय भू–भाग में कृषि उत्पाद के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु ग्रामीण हॉट बाजार का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे कृषि उत्पाद की माँग एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जा सकेगा।
4. प्रतिस्पर्धा एवं समय की मांग को ध्यान में रखते हुए फल एवं सब्जी संग्रह केन्द्र स्थापित होना आवश्यक है। छोटे–छोटे संग्रह केन्द्र अधिक लागत के शीतग्रहों का अच्छा विकल्प है। कृषि सहकारिता समितियों एवं निजी क्षेत्र के सशवत नहीं होने के कारण शीतग्रहों का अधिक निर्माण नहीं हो सकता। अतः कृषक संगठनों को निकटस्थ स्थानीय बाजारों में थोक मात्रा में संग्रह व विपणन केन्द्र स्थापित करने चाहिए।
5. कृषि विविधिकरण परियोजना द्वारा पम्परागत कृषि उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि कृषकों द्वारा उत्त्पादित की जाने वाली परम्परागत

उत्पादों की मांग केवल स्थानीय मांग न बनकर बड़े–बड़े शहरों तक भी हो सकती है। अतः इस परियोजना के अन्तर्गत मांग के अनुरूप बड़े शहरों में परम्परागत उत्पादों के लिए विपणन इकाईयों को स्थापित किया जाना चाहिए।

6. जिला स्तरीय सहकारी कृषि समितियों द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी जानकारी का समुचित प्रबंधन कराने का उद्देश्य था। प्रायः यह देखा गया है कि नवीनतम तकनीकी जानकारी किसी क्षेत्र विशेष में ही सिमटकर रह जाती है। इन समितियों द्वारा प्रदत्त जानकारी भी कुछ विशिष्ट कृषकों तक ही पहुँच पायी हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नवीनतम तकनीकी का लाभ हर स्तर पर हर क्षेत्र के कृषकों तक पहुँचे इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा कारगर नीति बनायी जानी चाहिए।

7. ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला स्तरीय सहकारी कृषि समितियों का कार्य कृषक समूहों तथा बैंकों के मध्य एक सम्पर्क सूत्र के रूप में रहा है। यद्यपि उससे कुछ कृषक परिवार अवश्य लाभान्वित हुए हैं। किन्तु अधिकांश कृषक ऋण लेने के प्रति उदासीन रहे। अतः आसान शर्तों पर अधिक से अधिक कृषकों को ऋण सुविधाओं की परिधी में लिया जाना चाहिए।

8. ऋण सुविधाओं का लाभ न उठा पाना कृषकों की अज्ञानता रही है। शोध सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि कृषकों को समय से लाभकारी ऋण योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। अतः सभी कृषक समूहों को समय–समय पर बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।

9. कई कृषक तो ऐसे भी हैं जो ऋण प्रक्रियाओं में उलझना ही नहीं चाहते इस दिशा में बैंक प्रतिनिधियों एवं परियोजना विशेषज्ञों द्वारा सही मार्गदर्शन हो सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि लोग विकास योजनाओं के प्रति अधिक समर्पित एवं जागरूक नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि किसी कृषक समूहों को योजनाओं की समूचित जानकारी है तो उसका लाभ उसी समूह तक सीमित रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि लाभान्वित कृषक समूह अन्य कृषक समूहों को भी इन योजनाओं के लाभ के दायरे में लायें।

10. जिला स्तरीय सहकारी कृषि समितियों द्वारा समय–समय पर अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कृषक समूहों के साथ चर्चा–परिचर्चा का कार्यक्रम किया जाता है। इस चर्चा–परिचर्चा में केवल वे ही कृषक भागीदारी करते हैं जिन्होंने पूर्व में भी कहीं न कहीं भागीदारी की है। अतः वृहद स्तर पर स्थान–स्थान पर विशेषज्ञों द्वारा रोचक जानकारियों के साथ चर्चा–परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए।

11. कृषि विविधता परियोजना में जैविक खेती को अपनाकर खेती करने की बात कही गयी है। अतः कृषक जैविक खेती की उपयोगिता को भी समझ रहे हैं। जैविक खेती अपनाने पर कृषकों को तकनीकी की आवश्यकता होती है। अतः लगान/विपणन की लागत में कमी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

12. विकास योजनाओं की सफलता समयबद्ध कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। लेकिन कृषि उत्पादन सहयोग परियोजना का समन्वयन, समीक्षण, पर्यवेक्षण व अनुसर्वण का कार्य वस्तुनिष्ठ एवं समय पर नहीं हुआ। फलस्वरूप योजनाएं अपने वांछित सफलताएं प्राप्त नहीं कर पायी अतः समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

13. विकास मार्ग में ग्रामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों के नियोजन की समस्या एक चुनौती के रूप में है। योजनाविद् योजना का अनावरण तो कर देते हैं किन्तु वह क्षेत्र विशेष की समस्याओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जिस कारण सही परिणाम दृष्टिगत नहीं होते। अतः योजना विशेषज्ञों को पूरी तत्परता के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के उपरान्त समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण करना चाहिए।

14. योजना ग्रास रूट लेवल पर तैयार व लागू होनी चाहिए ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग उससे जुड़कर उसका लाभ उठा सके। योजनाएं क्रम से निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए और दिशा निर्देशन का कार्य उच्च स्तर से नीचे की और होना चाहिए।

15. शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि योजनाऐं समय–समय पर बनती है तथा लागू भी की जाती हैं किन्तु इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि योजना लागू करने से पूर्व इसका एक विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कराया जाए। कहने का आशय यह है कि योजना इस प्रकार बननी चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार हो तथा क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

16. उत्तराखण्ड के मैदानी भूभाग में विशेषकर महिलाओं को उद्यमिता विकास में ज्यादा जोड़ने की अधिक सम्भावना है। अतः योजनाओं में महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है।

17. कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना यद्यपि दीर्घावधि की योजना नहीं थी फिर भी समय रहते राज्य स्तरीय कृषि सहकारी समितियों ने अपने प्रयासों से लाभकारी योजना प्रस्तुत की। इस सन्दर्भ में शोध अध्यन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कई चुनौतियों व समस्याओं के बावजूद राज्य स्तरीय कृषि सहकारी समितियों ने योजना के अन्तर्गत पाँच जनपदों में से लोगों को विविध योजनाओं से अवगत कराया।

18. कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि विविधता परियोजना में कुछ नूतन प्रयोग किये गए। लेकिन अधिकांश प्रयोग मुख्यतः समृद्ध कृषकों तक ही सीमित रहे तथा कमजोर तबके के कृषक समूह नवीन प्रयोगों से वंचित ही रहे। अतः नूतन प्रयोग की जानकारी समस्त कृषकों को समय–समय पर मिलती रहनी चाहिए।

19. कृषि विविधता परियोजना के अनेक कार्यक्रम उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे। इसके बावजूद यह एक सम्पूर्ण परियोजना थी क्योंकि इसमें मिट्टी से लेकर विपणन तक की सभी आवश्यकताओं का समावेश था। साथ ही परम्परागत कृषि के साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने का प्रयास किया गया था। परन्तु परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले तंत्र की असफलता के कारण यह परियोजना अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर

सकी। अतः कोई भी योजना लागू करने से पूर्व उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ, एक ठोस रणनीति भी तैयार की जानी चाहिए ताकि वह परियोजना उत्तराखड राज्य में जैविक कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।

संदर्भ सूची

- तिवारी, के. एन. (2005) – टिकाऊ खेती के लिए मृदा–उर्वरता पोषक प्रौद्योगिकियाँ,, जुलाई 2014, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- दहायत तुलसीराम एवं टेकाम केशव (2005) – जैविक कृषि की संभावनाएं, जून 2014, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- शर्मा. ए. के. (2005) – ए हेन्डबुक ऑफ आर्गेनिक फारमिंग, एग्रोबइस पब्लिशर, जोधपुर
- प्रमोशन ऑफ आर्गेनिक फारगि एन्ड सोइल हैल्थ मैनेजमेंट कार्यशाला – 2014–15, कृषि विभाग उत्तराखण्ड
- Home : Agriculture Department, Govt. of Uttarakhand, India

Copyright © 2017 *Dr. Alpna Nigam*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.